मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ. 3-2/2017/41-2 भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2021

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय: प्रदेश में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से आधार पंजीयन केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रदेश के नागरिकों के आधार पंजीयन एवं अपडेशन का कार्य राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हितग्राहियों को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाना है । प्रदेश की 97 प्रतिशत जनसंख्या का आधार पंजीयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में आधार केन्द्रों की स्थापना हेतु MPSEDC को स्टेट रजिस्ट्रार (राज्य पंजीयक) नियुक्त किया गया है। और यदि स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध न हो तो नागरिकों को 'आधार' संबंधी सेवाओं को सुलभ रूप से उपलब्ध कराने हेतु **"आधार रजिस्ट्रेशन सेंटरों"** की स्थापना के लिए **'आधार पोर्टल'** विकसित किया गया है, जिसके Login एवं ID जिलों को प्रेषित किये गये हैं । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 'आधारबद्ध प्रत्येक नागरिक के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसके लिए संवेदनशीलता के साथ सेवाओं को उपलब्ध कराना 'शासन' का प्रमुख दायित्व है एवं जिलों को विशेष सतर्कता के साथ कार्य करना आवश्यक है। आधार केन्द्रों की स्थापना के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है :-

(1) <u>उद्देश्य</u> -

आधार केन्द्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का आधार पंजीयन एवं समय-समय पर नागरिकों से संबंधित जानकारी, यथा - पते में परिवर्तन, आयु, मोबाईल नंबर एवं अन्य विषयों के संबंध में आधार में संशोधन कर नवीन/संशोधित 'आधार' उपलब्ध कराना है। जिलों में ऐसे शासकीय कार्यालय जैसे कलेक्टोरेट, तहसील कार्यालय, जनपद ,लोक सेवा केंद्र,कृषि उपज मंडी, नगर निगम कार्यालय आदि, जहाँ SWAN Connectivity उपलब्ध हो, वहाँ पर नवीन आधार केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं। ऐसे कार्यालय, जहाँ पर भविष्य में SWAN connectivity उपलब्ध हो सके ।

(मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के अभिमत उपरांत) जिला स्तर पर 'आधार' केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(2) <u>योग्यता एवं अर्हता</u> :-

आधार केन्द्र का संचालक/सुपरवाईजर होने के लिए निम्नांकित योग्यता एवं अर्हता होना आवश्यक है :-

(i) जिले का स्थानीय निवासी, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

(ii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 उत्तीर्ण, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान तथा UIDAI की सहयोगी संस्था NSEIT द्वारा जारी प्रमाण-पत्र धारक हों।

(iii) आधार कार्ड धारक हों ।

(3) <u>आधार सुपरवाईजर/संचालक का चयन</u> -

जिले में आधार केंद्रों की स्थापना हेतु जिले की आवश्यकता का आकलन नोडल अधिकारी द्वारा करते हुए जिला स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाकर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदनकर्ताओं में से स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए। यदि एक ही स्थान हेतु एक से अधिक स्थानीय अर्हताधारी आवेदन करते हैं, अथवा यदि स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध न हो और एक से अधिक बाहरी व्यक्ति आवेदन करते है तो सुपरवाइजर का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाए तथा शेष को चयनित पेनल के रूप में जिला स्तर पर रखा जाए ।

आधार सुपरवाइजर के चयन हेतु UIDAI की गाइडलाइन्स के अनुसार वेरिफायर की सहमति, शासकीय परिसर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ऑपरेटर संबंधी सम्पूर्ण/व्यक्तिग त जानकारी भी अब चयन हेतु आवश्यक है।

प्राप्त आवेदनों की जॉच के उपरांत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नोडल अधिकारी पात्र आवेदकों के आवेदनों को एमपीएसईडीसी की वेबसाइट https://www.mpsedc.gov.in में ऑनलाइन अपलोड किये जायेंगे। जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस सोसायटी, SAPS एवं CSC-SPV (Tribal) भोपाल को लॉगिन आईडी पोर्टल पर उपलब्ध कराये गए है । MPSEDC द्वारा जिलों से Online प्राप्त आवेदन, अनुमोदन हेतु UIDAI को अग्रेषित किये जायेगें, जिसके उपरांत सुपरवाइजर की मेल आई डी पर UIDAI द्वारा आई डी प्रोसेस होने की जानकारी प्राप्त होगी तथा MPSEDC द्वारा भी जिलो को अवगत कराया जाएगा ।

(4) 'आधार केन्द्र' के स्थान हेतु मापदण्ड -

आधार केन्द्र हेतु न्यूनतम 100 वर्गफीट का स्वच्छ, हवादार कक्ष होना आवश्यक हैं। शासकीय कार्यालय होने की स्थिति मे सक्षम अधिकारी द्वारा नि:शुल्क कक्ष आवंटित किया जा सकेगा। कक्ष में बिंजली की समुचित व्यवस्था तथा आगन्तुकों के लिए बैठक व्यवस्था का होना आवश्यक हैं। विघुत आपूर्ति तथा स्वॉन इंटरनेट कनेक्टिविटी शासकीय कार्यालय प्रमुख के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। नवीन स्थापित किये जा रहे आधार केन्द्र के उपयोगार्थ कंप्यूटर एवं डिवाइस तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था केन्द्र संचालक द्वारा स्वंय की जायेगी। विद्युत देयक का भुगतान शासकीय कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जायेगा ।

(5) 'आधार केन्द्र' का संचालन -

UIDAI द्वारा संबंधित आधार संचालक की आई डी जनरेट होने के उपरांत जिले स्तर पर DeGS सोसायटी एवं आधार सुपरवाइजर के मध्य Digitaly करारनामा 500 रूपये के Stamp Paper पर किया जाए। आधार सूपरवाइजर से रूपए 25,000 धरोहर राशि के रूपये जमा करायी जाना निर्धारित है । अनुबंध निष्पादित किए जाने उपरांत आधार पंजीयन एवं अपडेशन का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा । यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि UIDAI द्वारा समय समय पर दिशा निर्देशों में परिवर्तन किए जाते हैं, जिसकी सूचना www.uidai.gov.in portal पर उपलब्ध होती हैं। आधार संचालक उक्त पोर्टल का नियमित अवलोकन कर आधार संबंधी कार्य संचालित करें । दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति मे UIDAI द्वारा निलंबन की कार्यवाही भी की जाती हैं । एमपीएसईडीसी द्वारा भी समय–समय पर ई-मेल तथा वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से भी UIDAI द्वारा किए गए परिवर्तनों से संचालकों को अवगत कराया जाता है ।

(6) भुगतान प्रक्रिया -

आधार पंजीयन एवं अद्यतीकरण के लिए नागरिकों से ली जाने वाली शुल्क के संबंध में MPSEDC के पत्र क्रमांक MPSEDC /आधार/2020/118 के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आधार पंजीयन एवं मेंडेटरी अपडेट हेतु UIDAI से प्राप्त राशि MPSEDC द्वारा भुगतान DeGS सोसायटी के खाते मे किया जाएगा। तत्पश्चात DeGS जिला स्तर पर कार्यवाही कर सुपरवाइजर्स के खाते में राशि प्रदाय करेगा । (सुलभ संदर्भ हेतु फोटोप्रति संलग्न है)। UIDAI के पत्र दिनांक 01/07/2019 में दर्शायी गई पेनाल्टी का भुगतान आधार सुपरवाइजरों द्वारा वहन किया जाना है । आपरेटर के ब्लेकलिस्ट होने या पेनाल्टी राशि अधिक होने या ऑपरेटर द्वारा पेनाल्टी राशि का भुगतान ना किये जाने की स्थिति में DeGS द्वारा धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी।

(7) निगरानी एवं नियंत्रण -

प्रदेश के सभी आधार केन्द्रों के सुपरविजन, मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिला स्तर पर एमपीएसईडीसी द्वारा संचालित आधार केंद्रों की ऑडिट रिपोर्ट जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत UIDAI के पत्र क्रमांक F.No.A-2201 / 45 / 2011/ UIDAI (RO-Delhi) Dated 28.06.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप एमपीएसईडीसी को प्रेषित जावे जिससे जायेगी । जिलों मे संचालित आधार केन्द्रों की अद्यतन स्थिति UIDAI को एमपीएसईडीसी द्वारा समय सीमा में प्रेषित की जा सके।

अनुरोध है कि उपरोक्त् सभी बिन्दुओं का परिपालन करते हुए निजी आधार संपरवाइजरों मे प्राप्त समस्त आवेदनों को आधार पोर्टल पर Online माध्यम से MPSEDC भोपाल को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शीपूर्ण तरीके से आधार संबंधी सेवायें प्रदान की जा सकें।

(एम. सेलवेन्द्रन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र. एफ. 3-2/2017/41-2 भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग
8. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, भोपाल
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग